

उत्तराखण्ड शासन  
वित्त अनुभाग-8  
सं0 /2016/09(120)/XXVII(8)/2011  
देहरादूनः दिनांकः ०९ मार्च, 2016

### अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकं हित में ऐसा करना समीचीन है; अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं0 27 वर्ष 2005) की धारा 20 की उपधारा (5) सपष्टित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 01 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अधिसूचना सं0 156 / 2013 / 09(120) / XXVII(8) / 2011 दिनांक 11-02-2013 द्वारा अधिसूचित माल की सूची के क्रम संख्या 7 के उपरान्त निम्नलिखित माल को सम्मिलित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

### अधिसूचित माल

8— मार्बल एण्ड टाईल्स।

(अमित सिंह नेगी)  
सचिव।

सं0 100 / 2016 / 09(120) / XXVII(8) / 2011 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1—आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
- 2—निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियों इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100-100 प्रतियों वित्त अनुभाग-8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
- 3—भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 4—सलाहकार 'कर', उत्तराखण्ड शासन।
- 5—एन0आई0सी0
- 6—गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेडा)  
अनुसचिव।

19/03/2016  
अनुभाग  
आवश्यक कार्यवाही करें  
अधिकारी कर  
उत्तराखण्ड, देहरादून

12291  
10/03/2016

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 100 /2016 /9(120)/ XXVII(8)/2011 dated 09 March, 2016 for general information.

**Government of Uttarakhand**  
**VITTA ANUBHAG-8**  
**NO. 100 /2016 /9(120)/ XXVII(8)/ 2011**  
**Dehradun :: Dated:: 09 March, 2016**


**Notification**

Where as the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 20 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 27 of 2005), read with section 21, of the Uttar Pradesh General Clauses Act. 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor, is pleased to add the following goods after serial no. 7 in the list of goods notified vide previous notification no. 156 /2013 /9(120)/ XXVII(8)/2011 dated 11 February, 2013, with effect from the date of publication of this notification in the Gazette :-

**Notified Goods**

8- Marble and Tiles.



(Amit Singh Negi)  
Secretary